# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 20/2019 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र

श्रीया(फौत)

1. हीरालाल
2. जगनलाल
3. रामकिशोर
4. कैलाश
5. प्रभूदयाल
6. बसन्तीलाल

} पुत्रान श्रीया जाति मीना निवासी ढाणी गोला मीना गुढलिया तहसील बसवा जिला दौसा।

7. मांगी देवी पुत्री श्रीया पत्नि कैलाश जाति मीना निवासी ढाणी नठारया गांव रामबास तहसील दौसा जिला दौसा।
8. कविता पुत्री श्रीया पत्नि हजारी जाति मीना निवासी ढाणी बाण्यावन छायडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
9. रामफूल पुत्र हरदेवा
10. बाबूलाल पुत्र हरदेवा

} जाति मीना निवासी ढाणी गोला मीना, गुढलिया तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र मूल्या
2. रोहिताश पुत्र रामगोपाल
3. कर्मसिंह पुत्र रामगोपाल
4. दयाराम पुत्र रामगोपाल
5. रामकुंवार पुत्र किलाण
6. देवीसहाय पुत्र किलाण
7. सुरजन पुत्र बद्री
8. कैलाश पुत्र बद्री
9. रामहेतु पुत्र बद्री
10. रामकिशोर पुत्र रामसुखा
11. रंगलाल पुत्र रामसुखा
12. सीताराम पुत्र रामसुखा
13. हरिमोहन पुत्र रामसुखा
14. प्रभाती पत्नि रामसुखा
15. कजोड पुत्र छाज्या
16. रेवड पुत्र बिरदा
17. मोती पुत्र बिरदा
18. जन्सी पुत्र बिरदा
19. हरचन्दा पुत्र बिरदा
20. रामरतन पुत्र बिरदा
21. प्रभाती पत्नि बिरदा
22. रामकिशन पुत्र सेडया
23. जगदीश पुत्र मंगला
24. गिर्राज पुत्र मंगला
25. नवलकिशोर पुत्र मंगला

} समस्त जाति मीना निवासी ढाणी गोला मीना, गुढलिया तहसील बसवा जिला दौसा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

26.छोटेलाल पुत्र मंगला
27.हीरा पत्नि स्व. रामकरण
28.हेमलता पुत्री रामकरण
29.टुण्डया उर्फ गोपाल पुत्र धन्ना
30.कैलाशी पत्नि पूरण
31.ख्यालीराम पुत्र सुखपाल
32.ताराचन्द पुत्र हरबक्स
33.प्रभाती पत्नि हरबक्स

समस्त जाति मीना निवासी ढाणी गोला मीना, गुढलिया तहसील बसवा जिला दौसा।

34.राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।
35.उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा।
36.उप पंजीयक बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

( प्रार्थना पत्र मिसल स्थानान्तरण विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई बाबत दावा उद्घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी पत्रावली श्रीया(फौत) बनाम मांगीलाल वगैराह, प्रकरण नम्बर 253/2017 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी श्रीया(फौत) बनाम मांगीलाल वगैराह, प्रकरण संख्या 213/2017)

उपस्थितिः—

1. श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री ऋद्धिचन्द शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1, 5 लगा. 11,13 लगा. 18,20 लगा. 23,25,26,29, एवं 31 उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण सं. 2,3,4,12,19,24,27,28,30,32 व 33 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये।

:— निर्णय :— दिनांकः 01.01.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि एक दावा उद्घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी श्रीया(फौत) बनाम मांगीलाल वगैराह एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी श्रीया(फौत) बनाम मांगीलाल वगैराह अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अंकितानुसार अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 33 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से मिलकर अपने प्रकरण का निर्णय अपने पक्ष में करवाने पर उतारू है। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई सभी प्रकरणों में कम से कम दो तीन महीने की तारीख पेशीयां देते है, परन्तु इस प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशीयां दी जा रही है। अप्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से मिलकर शीघ्र ही अपने पक्ष में फैसला करवाने पर आमादा है। इसलिये उक्त दावा उद्घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 253/2017 उनवानी श्रीया(फौत) बनाम मांगीलाल वगैराह एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 213/2017 उनवानी श्रीया(फौत) वगैराह बनाम मांगीलाल वगैराह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगा. 4,12,19,24,27,28,30,32 व 33 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1, 5 लगा. 11, 13 लगा. 18,20 लगा. 23,25,26,29 एवं 31 की बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर,
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 33 बहुत ही राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जो प्रकरण का निर्णय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से मिलकर अपने पक्ष में करवाने पर उतारू है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 लगायत 33 को खुले आम यह बात करते हुए देखा है कि वे लोग उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से मिलकर अपने पक्ष में फैसला करवायेंगे। उपखण्ड अधिकरी बांदीकुई सभी प्रकरणों में कम से कम दो-तीन महीने की तारीख पेशी देते है परन्तु इस प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशी दे रहे है। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा प्रकरण में नजदीकी पेशीयां देना निश्चित करता है कि अप्रार्थीगण उक्त प्रकरण का उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से मिलकर अपने पक्ष में निर्णय करवाने पर आमादा है। प्रार्थीगण को उक्त दावा में उपखण्ड अधिकरी बांदीकुई से न्याय की उम्मीद नहीं है और जहां न्याय की उम्मीद नहीं हो वहां पर मुकदमे की सुनवाई किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के न्यायालय में विचाराधीन दावा उद्घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 253/2017 उनवानी श्रीया(फौत) बनाम मांगीलाल वगैराह एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 213/2017 उनवानी श्रीया(फौत) वगैराह बनाम मांगीलाल वगैराह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमाये जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1, 5 लगा. 11, 13 लगा. 18,20 लगा. 23,25,26,29 एवं 31 की ओर से निवेदन किया गया कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप कि अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर रखी है तथा अप्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से मिलीभगत कर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करवाने पर आमादा हो रहे है झूठे एवं मनगढन्त आरोप है। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर झूठे आरोप लगाये जा रहे है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण को महज लम्बे करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यो के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से प्रार्थीगण को न्याय मिलने की संभावना नहीं होना व्यक्त किया गया है। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई ने भी अपनी टिप्पणी में प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने में भी कोई आपत्ति नहीं होने का अंकन किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन दावा उद्घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 253/2017 उनवानी श्रीया(फौत) बनाम मांगीलाल वगैराह एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 213/2017 उनवानी श्रीया(फौत) वगैराह बनाम मांगीलाल वगैराह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के यहां स्थानान्तरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली आगामी दिनांक 15.01.2020 से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई एवं उपखण्ड अधिकारी सिकराय को पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

( लोकेश कुमार मीना )
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 01.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

( लोकेश कुमार मीना )
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official